न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या – 746/2023

अनवान : –

1. सुनील कुमार पुत्र जगदीश जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर ।

– वादी

बनाम्

1. वेद प्रकाश पुत्र हरलाल जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर।
2. कमला पत्नी जगदीश जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. लिछमा पत्नी हरलाल जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. सुमित्रा पुत्री हरलाल जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त० अधि० 1955

उपरिथति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय   दिनांक: 23|10|23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा मालिया तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 190/190 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 4.3890 है० भूमि व रोही मौजा सोनडी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 625/597 के खसरा नं. 684/2 की कुल 3.8820 है० भूमि में से 1372/1941 हिस्सा भूमि व खाता संख्या 695/666 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 2.5300 है० भूमि वादी के दादा मृतक हरलाल पुत्र नन्दराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा रोही मौजा मेघसिंहपुरा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 150/154 के खसरा नं. 901/4 की कुल 4.5530 है० भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि वादी के पिता मृतक जगदीश पुत्र हरलाल के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि वादी व प्रतिवादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादीका जन्मजात हक हिस्सा है। वादी के दादा हरलाल पुत्र नन्दराम का स्वर्गवास हो चुका है जिनके वारिस लिछमा (पत्नी), जगदीश (पुत्र), वेद प्रकाश (पुत्र), सुमित्रा (पुत्री) हुए जिसमें जगदीश का स्वर्गवास हो चुका है जिनके वारिस वादी व प्रतिवादी संख्या 2 है।

प्रतिवादीया संख्या 4 जो कि वादी [illegible] उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती तथा अपना जो भी हक हिस्सा है [illegible] जिज व्यक्तियों के सामने अपने भाईयों व उसके वारिसों के पक्ष में परित्याग कर चुकी है बाद हक त्याग मु[illegible] समझोता रोही मौजा मालिया तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 190/190

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:08:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 4.3890 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ब0 हि0 ब0 काबिज है तथा रोही मौजा सोनडी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 625/597 के खसरा नं. 684/2 की कुल 3.8820 है0 भूमि में से मृतक हरलाल पुत्र नन्दराम के नाम दर्ज 1372/1941 हिस्सा भूमि में से 1.226 है0 पर वादी काबिज है व शेष भूमि पर प्रतिवादी संख्या 3 काबिज है तथा रोही मौजा सोनड़ी के खाता संख्या 695/666 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 2.5300 है0 भूमि में से 0.253 है0 भूमि पर प्रतिवादी 3 काबिज है शेष भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 काबिज है एवं रोही मौजा मेघसिंहपुरा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 150/154 के खसरा नं. 901/4 की कुल 4.5530 है0 भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी 2 काबिज है वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 4 ने जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को काई एतराज नही है। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी सम्वत 2070–73 रोही मौजा सोनड़ी खाता संख्या 625/597 व खाता स0 695/666 प्रदर्श–1 ता 2, जमाबंदी सम्वत 2074–77 रोही मौजा मेघसिंहपुरा खाता संख्या 150/154 प्रदर्श–3, मृत्यु प्रमाण पत्र बहक जगदीश प्रदर्श–4, मृत्यु प्रमाण पत्र बहक हरलाल प्रदर्श–5, मृत्यु प्रमाण पत्र बहक दयाशंकर प्रदर्श–6, वारिसान प्रमाण पत्र प्रदर्श–7 आदि प्रदर्शित करवाये। प्रतिवादी स0 5 पैरोकार राज द्वारा जवाब पेश किया गया जो कि शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभय[illegible] बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान [illegible] वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी के दादा [illegible] वादी के पिता जगदीश पुत्र हरलाल के नाम दर्ज है हरलाल पुत्र नन्दराम व जगदीश पुत्र [illegible]ल का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण है जो की उक्त वाद भूमि को आने

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:08:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीया स0 4 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद में वादी ने रोही मौजा मालिया तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 190/190 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 4.3890 है0 भूमि व रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 625/597 के खसरा नं. 684/2 की कुल 3.8820 है0 भूमि में से 1372/1941 हिस्सा भूमि व खाता संख्या 695/666 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 2.5300 है0 भूमि वादी के दादा मृतक हरलाल पुत्र नन्दराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा रोही मौजा मेघसिंहपुरा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 150/154 के खसरा नं. 901/4 की कुल 4.5530 है0 भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि वादी के पिता मृतक जगदीश पुत्र हरलाल के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, हरलाल पुत्र नन्दराम व जगदीश पुत्र हरलाल का देहान्त हो चुका है जिनके जायज वारिसान पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान व वादी द्वारा प्रस्तुत सदस्य प्रमाण पत्र के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण है। प्रतिवादीया संख्या 4 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मालिया तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 190/190 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 4.3890 है0 भूमि में मृतक हरलाल पुत्र नन्दराम का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को बहिस्से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 625/597 के खसरा नं. 684/2 की कुल 3.8820 है0 भूमि में से 1372/1941 हिस्सा में मृतक हरलाल पुत्र नन्दराम का नाम कलमजन किया जाकर 1.226 है0 भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व शे[illegible] प्रतिवादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही [illegible] खाता संख्या 695/666 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 2.5300 है0 भूमि में मृतक हरलाल पुत्र नन्दराम का नाम कलमजन किया जाकर 0.253 है0 भूमि का प्रतिवादी 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व शेष भूमि का

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:08:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं सेही मौजा मेघसिंहपुरा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 150 / 154 के खसरा नं. 901 / 4 की कुल 4.5530 है0 भूमि में से 1 / 2 हिस्सा भूमि में मृतक जगदीश पुत्र हरलाल का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500 /– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25/10/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:08:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर०ए०एस०)**
प्रकरण संख्या – 746/2023
अनवान : –

1. सुनील कुमार पुत्र जगदीश जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर ।

– वादी

बनाम्

1. वेद प्रकाश पुत्र हरलाल जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
2. कमला पत्नी जगदीश जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. लिछमा पत्नी हरलाल जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. सुमित्रा पुत्री हरलाल जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 746 सन 2023 निर्णय दिनांक 23/10/2023

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र कुमार गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वाद मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मालिया तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 190/190 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 4.3890 है० भूमि में मृतक हरलाल पुत्र नन्दराम का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 625/597 के खसरा नं. 684/2 की कुल 3.8320 है० भूमि में से 1372/1941 हिस्सा में मृतक हरलाल पुत्र नन्दराम का नाम कलमजन किया जाकर 1.226 है० भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व शेष भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा सोनड़ी के खाता संख्या 695/666 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 2.5300 है० भूमि में मृतक हरलाल पुत्र नन्दराम का नाम कलमजन किया जाकर 0.253 है० भूमि का प्रतिवादी 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व शेष भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जता है एवं रोही मौजा मेघसिंहपुरा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 150/154 के खसरा नं. 901/4 की कुल 4.5530 है० भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि में मृतक जगदीश पुत्र हरलाल का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक [illegible] को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:08.02 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर

Scanned with CamScanner